झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.05.2026 हेतु लिखित अभिमत

अध्यक्ष महोदय

दिनांक 12.05.2026 की आहूत झारखंड सचिवालय सेवा के संवर्ग समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा तथ्यों को प्रमाण के साथ लिखित रूप मे विचार हेतु रखने का सुझाव दिया गया है। उक्त के अनुपालन मे समिति के समक्ष अपनी बातों को लिखित रूप मे रखा जा रहा है-

1. कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2026 के द्वारा यह अवगत कराया गया है की सचिवालय सेवा के संवर्ग समीक्षा हेतु विभागीय आदेश संख्या 2566 दिनांक 23.04.2026 द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमे अधोस्ताक्षरी द्वय को सदस्य के रूप मे सम्मिलित किया गया है।
2. उक्त समिति की पहली बैठक दिनांक 05.05.2026 को होने की सूचना प्राप्त है जिसमे भाग नहीं ले पाने की सकारण सूचना (Reasoned Information) लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय एवं संवर्ग नियंत्री प्राधिकार को समर्पित किया गया है।
3. समिति की दूसरी बैठक 12.05.2026 को सम्पन्न हुयी जिसमे सभी सदस्य उपस्थित रहे एवं संवर्ग समीक्षा पर चर्चा आरंभ की गयी। इस क्रम मे समिति के विचारार्थ तैयार प्रस्ताव एवं समीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
4. इस पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा बताया गया की संवर्ग समीक्षा हेतु अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी बताया गया की कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। समिति मे विमर्श के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।
5. समीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्मिक विभाग (जो की समिति को वर्तमान मे सचिवालयीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है) से संपर्क करने को कहा गया जबकि बैठक मे उपस्थित सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा इससे संबन्धित संचिकाओं को उपलब्ध कराने से इंकार किया गया और केवल एक फोंल्डर ही समिति के समक्ष रखा गया।
6. उपलब्ध कराये गए फोंल्डर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उसमे केवल वही सीमित अभिलेख है जो पूर्व से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसकी सूची निमन्वत है:-

Sl	Memo No/Date	Departement	Available At
1	I-11011/16/2022-CRD Date-30.09.2022	Depart. Of Personal&Training Govt. Of India	Department Website
2	Central Secretariate Service Rules,2009	Depart. Of Personal&Training Govt. Of India	Department Website
3	Jharkhand Secretariate Service Rules,2010	Dept. of Personal, Administrative Reform & Rajbhasa Govt of Jharkhand	Department Website
4	Memo No -2759 Date-28.02.2019	General Administrative Dept. Govt. Of Bihar	e-Gazette Bihar

5	MP Secretariate Service Recruitment Rules (Amendment) 2020	General Administrative Dept. Govt. Of MP	
6	CG Secretariate Service Recruitment Rules (Amendment) 2018	General Administrative Dept. Govt. Of MP	

7. किसी भी संवर्ग (Cadre) की समीक्षा एक व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें केवल वर्तमान पदों की संख्या का आकलन ही नहीं, बल्कि सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कार्यभार में परिवर्तन, विभागीय विस्तार, पदोन्नति संरचना, रिक्तियों की स्थिति, वित्तीय प्रभाव, कार्यात्मक आवश्यकता, तुलनात्मक अध्ययन तथा भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं जैसे विभिन्न आयामों का सम्यक परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार की समग्र समीक्षा बिना अभिलेखों, संचिकाओं, पूर्ववर्ती निर्णयों, गठन संबंधी आदेशों, कैडर पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों तथा विभागीय टिप्पणियों के संभव नहीं है।
8. अभिलेखों की उपलब्धता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीमित सूचनाओं के आधार पर संवर्ग की वास्तविक स्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता तथा न्यायसंगत पद संरचना का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मूल संचिकाएँ ही यह स्पष्ट करती हैं कि किन परिस्थितियों में पदों का सृजन, विलोपन, पुनर्गठन अथवा पदोन्नति व्यवस्था निर्धारित की गई थी। अतः अभिलेखों का अभाव समीक्षा प्रक्रिया को अपूर्ण, पक्षपातपूर्ण तथा तथ्यहीन बना सकता है।
9. ऐसी स्थिति में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकार द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने से इंकार करना न केवल समीक्षा समिति के कार्य को प्रभावित करने जैसा है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सुशासन के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है। विशेष रूप से जब माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बार बार कार्मिक विभाग से उन आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा जो किसी प्रकार से गोपनीय की श्रेणी मे नहीं आते और समिति को निर्णय लेने मे सहायक सिद्ध हो सकते हो, तब संबंधित विभाग द्वारा केवल एक सीमित फोल्डर प्रस्तुत कर औपचारिकता निभाना समीक्षा प्रक्रिया की गंभीरता के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
10. अतः अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पुनः विनम्र अनुरोध है कि संवर्ग समीक्षा समिति के समक्ष सभी आवश्यक अभिलेख, संचिकाएँ, गठन संबंधी आदेश, पूर्व कैडर समीक्षा अभिलेख, पद सृजन एवं पुनर्गठन संबंधी दस्तावेज तथा विभागीय टिप्पणियाँ मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि समिति में निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप अपना तथ्य प्रस्तुत कर सके।
11. समिति की विगत बैठक मे एक methodology अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था तथा इससे संबन्धित कुछ तथ्य भी प्रस्तुत किए गए थे जिसके क्रम अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे समर्थित अभिलेखो के साथ लिखित रूप मे समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के अनुपालन मे सुझाव अलग से समर्पित किए गए है।
12. विगत बैठक मे संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के तर्ज पर झारखंड मे भी सेवा का पुनर्गठन किए जाने के संबंध मे बाते समिति के समक्ष रखा गया है। इस संबंध मे अध्यक्ष महोदय के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करना है की बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य की सामाजिक,आर्थिक,भौगोलिक

परिदृश्यों के काफी अंतर है जिसके कारण दोनों राज्यों की प्रसाशनिक आवश्यकतों एवं व्यवस्थाओं मे भी अंतर स्वाभाविक है।

13. जहाँ बिहार का अधिकांश भू-भाग समतल मैदानी क्षेत्र है, जिससे प्रशासनिक पहुँच, सेवा वितरण एवं निगरानी अपेक्षाकृत सरल होती है, वहीं झारखंड का अधिकांश भाग पठारी, वनाच्छादित, खनिज क्षेत्र एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त है, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण हो जाती है। झारखंड के अनेक जिले Fifth Schedule के अंतर्गत Scheduled Area हैं, जहाँ Tribal Governance, PESA Act, भूमि संरक्षण एवं जनजातीय हितों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था, अधिक फील्ड अधिकारियों तथा विशेष निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है। इसी कारण झारखंड में कार्यबल की आवश्यकता बिहार से भिन्न एवं अधिक है, और यह अंतर सचिवालय सेवा सहित अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की पद संरचना एवं कैडर निर्धारण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

14. राज्य गठन के उपरांत जहा झारखंड राज्य मे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तर्ज पर हु-ब-हु सचिवालय सेवा के गठन की कार्रवाई की गयी और इसके सेवा के लगभग 600 पदो को प्रत्यर्पित करते हुये अवर सचिव स्तर तक के पदो को केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप किया गया जबकि बिहार राज्य मे इसके विपरीत क्रमिक रूप से पदो का सृजन करते हुये अनुपात को संतुलित किया जा रहा है जो निम्न चार्ट मे देखा जा सकता है:-

बिहार सचिवालय के विभिम्न पदों की संख्या की तुलना (2000 बनाम 2026)

पद (Level)	वर्ष 2000 (पदों की संख्या)	वर्ष 2026 (पदों की संख्या)	वृद्धि (संख्या में)	वृद्धि (प्रतिशत में)
ASO	2,989	4,381	+1,392	+46.59%
SO*	729 (जिसमें 198 पद Registrar के शामिल हैं)	1,329	+600	+82.31%
US & Equivalent	96	501	+405	+421.88%
DS & Equivalent	23	160	+137	+595.65%
JS & Equivalent	0	64	+64	—
कुल	3,837	6,435	+2,598	+67.72%

★ नोट : SO (Section Officer) श्रेणी में वर्ष 2000 के आंकड़ों में 198 पद Registrar (विभागीय निबंधक) के शामिल हैं।

15.उक्त चार्ट से स्पष्ट है कि बिहार राज्य में राज्य गठन के उपरांत सेवा के पदों में लगभग 68% की वृद्धि हुई है, जिसमें विभिन्न स्तरों के पदों पर 45% से 600% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से उच्च स्तर के पदों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि एक संतुलित एवं बेहतर प्रशासनिक पिरामिड (Administrative Pyramid) स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती है।

16.झारखंड राज्य में वर्ष 2010 में नियमावली गठन के समय सेवा संरचना को केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप संतुलित प्रशासनिक पिरामिड स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापक पद प्रत्यर्पण एवं पुनर्संरचना की गई। इसी क्रम में निबंधक स्तर के पदों सहित विभिन्न स्तरों पर पदों का प्रत्यर्पण कर ASO से Under Secretary स्तर तक CSS pattern के अनुरूप hierarchy विकसित की गई, जिससे एक संतुलित एवं बेहतर प्रशासनिक पिरामिड प्राप्त हो सका। यह केवल पदों की कटौती नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता एवं संरचनात्मक सुधार के लिए किया गया महत्वपूर्ण निर्णय था। अब जबकि सेवा ने एक बेहतर एवं संतुलित पिरामिड प्राप्त कर लिया है, तब आवश्यकता इस संरचना को और अधिक मजबूत करने, उच्च स्तर के पदों को सुदृढ़ करने तथा career progression को बेहतर बनाने की है, न कि बिना व्यापक प्रशासनिक समीक्षा एवं सेवा की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बगैर केवल किसी राज्य की संरचना की नकल करते हुए पुनः पीछे लौटकर असंतुलित एवं कम प्रभावी पुरानी व्यवस्था को अपनाने की।

17.बिहार सचिवालय सेवा के लेवेल 7 के पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 25% तक के पदो पर प्रोन्नति /समावेशन का अवसर उपलब्ध है साथ ही निदेशक स्तर के अनेक पदों का भी लाभ प्राप्त है, जिससे वहाँ सेवा के पदाधिकारियों के लिए career progression के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हैं जो इसे झारखंड की व्यवस्था से अलग करती है।

18.बिहार सचिवालय सेवा में प्रशाखा पदाधिकारी (Section Officer) का वेतनमान ₹5400 ग्रेड पे है, जबकि झारखंड सचिवालय सेवा में यह पद केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप ₹4800 ग्रेड पे पर निर्धारित है। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि झारखंड सचिवालय सेवा की संरचना एवं सेवा शर्तें बिहार से भिन्न होकर CSS pattern पर आधारित हैं। अतः बिहार के आधार पर झारखंड सचिवालय सेवा की समीक्षा करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। यह एक मजबूत आधार है कि झारखंड की सेवा संरचना, पदानुक्रम, वेतनमान एवं कैरियर प्रगति का मूल्यांकन उसकी अपनी विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं CSS आधारित ढाँचे के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, न कि बिहार के तर्ज पर।

19. बिहार सचिवालय में उच्च स्तर के स्वीकृत पदों पर सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों को अन्य सेवाओं के साथ, झारखंड सचिवालय की तुलना में अधिक एवं बेहतर भागीदारी प्राप्त है, जिससे वहाँ प्रशासनिक प्रतिनिधित्व अधिक सुदृढ़ एवं संतुलित दिखाई देता है। इसे निम्न ग्राफिक्स से समझा जा सकता है –

Participation Of Secretariate Service in Higher Posts
Comparative Statement of Bihar and Jharkhand

The chart compares the participation of BSS (Bihar Secretariat Service) with JSS (Jharkhand Secretariat Service) in US & Equivalent, DS & Equivalent, and JS & Equivalent posts.

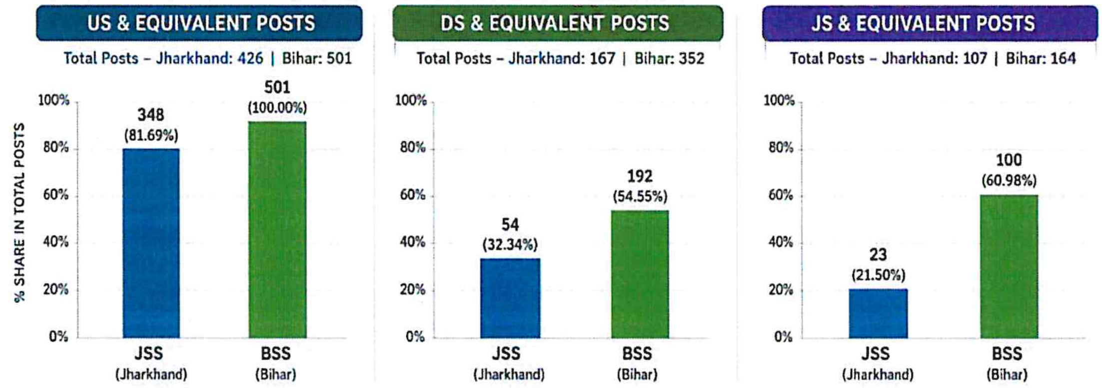

POST CATEGORY	JHARKHAND SECRETARIAT (JSS)			BIHAR SECRETARIAT (BSS)			BSS ADVANTAGE (PERCENTAGE POINTS) OVER JSS
	TOTAL POSTS	JSS POSTS	% SHARE	TOTAL POSTS	BSS POSTS	% SHARE	
US & Equivalent	426	348	81.69%	501	501	100.00%	18.31%
DS & Equivalent	167	54	32.34%	352	192	54.55%	22.21%
JS & Equivalent	107	23	21.50%	164	100	60.98%	39.48%

JSS (Jharkhand Secretariat Service) BSS (Bihar Secretariat Service)

DISCLAIMER: This data has been compiled with best efforts from the available sources. Marginal error in data may be possible.

20. उक्त से स्पष्ट है की बिहार मे उच्च स्तर के पदो मे सचिवालय सेवा को बेहतर भागीदारी प्राप्त है जो इसे झारखंड से अलग बनती है। यह भी तब है जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा एक प्रीमियम सेवा के रूप में चिन्हित हैं।

21. इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मैं माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार द्वारा सदन में दिया गया वह महत्वपूर्ण वक्तव्य विशेष रूप से लाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि **हरियाणा और बिहार हमारे ही देश के राज्य हैं, किंतु यदि इस राज्य में हरियाणा और बिहार के precedence अगर लागू हो जाएंगे हैं, तो फिर इस राज्य को बिहार से अलग करने की आवश्यकता ही क्या थी?** यह वक्तव्य इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करता है कि झारखंड की प्रशासनिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं संरचनात्मक आवश्यकताएँ बिहार से भिन्न हैं, अतः यहाँ की सेवा संरचना, पद निर्धारण एवं cadre review भी राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिये न कि बिहार के अनुरूप।

22.वित्त विभागीय संकल्प संख्या-03 पी.ए.आर.-01/98/32/वि.(2) दिनांक 02.01.1998 के माध्यम से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राज्य सेवाओं को केंद्रीय सेवाओं के अनुरूप वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सभी सुविधाएँ—जैसे चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, समूह बीमा, ग्रेच्युटी, मकान भाड़ा आदि—प्रदान किए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की प्रारंभिक नीति ही राज्य सेवाओं का विकास केंद्रीय सेवा संरचना एवं सेवा शर्तों के अनुरूप करना था।

23.इसी प्रतिबद्धता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अपने सेवी वर्ग को केंद्र सरकार के अनुरूप वेतनमान, महंगाई भत्ता, शिशु देखभाल अवकाश तथा अन्य सेवा-संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, ताकि सेवा शर्तों में समानता, प्रशासनिक संतुलन तथा कर्मचारियों के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

24.इसी क्रम में पंचम केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुच्छेद 45.23 को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660 दिनांक 28.02.1999 द्वारा केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप "हू-ब-हू" सचिवालय सेवा गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर सचिवालय सेवा की संरचना, hierarchy एवं कार्य प्रणाली को केंद्र सरकार के अनुरूप विकसित करने की नीति अपनाई गई और वर्ष 2010 में झारखंड सचिवालय सेवा का गठन केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप किया गया, ताकि सेवा संरचना, पदानुक्रम, वेतनमान, पदोन्नति व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली केंद्र सरकार की सचिवालय व्यवस्था के समान संतुलित एवं सुव्यवस्थित रूप में विकसित हो सके।

25.जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप पद संरचना प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2010 में झारखंड सचिवालय सेवा का पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय सचिवालय सेवा में "निबंधक" स्तर का पद नहीं होने के कारण CSS pattern के अनुरूप JSS को ढालने हेतु 124 निबंधक पद प्रत्यर्पित किए गए। इसी प्रकार ASO से Under Secretary स्तर तक CSS के अनुरूप 1:2 पदानुपात स्थापित करने के लिए 469 ASO पद भी प्रत्यर्पित किए गए। इस प्रकार कुल 593 पदों का प्रत्यर्पण केवल इस उद्देश्य से किया गया कि झारखंड सचिवालय सेवा की hierarchy, cadre structure तथा प्रशासनिक पिरामिड केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप विकसित हो सके और सेवा को एक संतुलित, सुव्यवस्थित एवं कार्यकुशल स्वरूप प्रदान किया जा सके। इसे राज्य गठन के समय और नियमावली निर्माण के पश्चात के पद संरचनाओ से समझा जा सकता है-

Jharkhand State – Comparative Study of Posts Before and After Framing of Secretariat Service Rules

Level of Post	Before Framing of Secretariat Service Rules (No. of Posts)	After Framing of Secretariat Service Rules (No. of Posts)	Increase / Decrease (In Numbers)
ASO	1,782	1,313	-469
SO & Equivalent	372	657	+285
Registrar	124	0	-124
US & Equivalent	59	328	+269
DS & Equivalent	12	33	+21
JS & Equivalent	0	10	+10
Total	2,349	2,341	-8

26. उक्त से स्पष्ट होगा की JSS नियमावली में ASO से Under Secretary तक का पदानुपात CSS के अनुरूप 1:2 निर्धारित किया गया तथा इस संरचना को स्थापित करने हेतु कुल 593 पदों का प्रत्यर्पण किया गया, जो केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना नहीं बल्कि सेवा हित में किया गया एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव था। झारखंड सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने वेतनमान एवं पदोन्नति के मामलों में भी व्यावहारिक समझौता स्वीकार किया, जहाँ ASO से Section Officer पद पर लगभग 8 वर्षों के बाद पदोन्नति होने पर मात्र ₹200 की ग्रेड वेतन में वृद्धि (₹4600 से ₹4800) प्राप्त होती है, जबकि बिहार में यही वृद्धि ₹600 है। इसके विपरीत राज्य की अन्य सेवाओं में प्रथम पदोन्नति पर लगभग ₹1200 की ग्रेड वेतन में वृद्धि उपलब्ध होती है, जैसे JE से AE, MVI से DTO तथा LEO से LS में वेतनमान ₹4200 से बढ़कर ₹5400 हो जाता है। जबकि JSS को CSS आधारित संरचना एवं सीमित वित्तीय लाभ प्राप्त है, ताकि सेवा संरचना, hierarchy एवं कार्य प्रणाली केंद्र सरकार की केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप बनी रहे।

27. बाद के वर्षों में भी राज्य सरकार ने केंद्रीय सेवा संरचना के अनुरूप राज्य सेवाओं को विकसित करने की अपनी नीति को निरंतर बनाए रखा। षष्ठम वेतनमान हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660/वि. दिनांक 28.02.2009, सप्तम वेतन आयोग संबंधी संकल्पों, महंगाई भत्ता (DA) से संबंधित आदेशों तथा वित्त विभाग के पत्रांक संख्या-1303 दिनांक 18.04.2009 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि राज्य सेवाओं की नियमावली, सेवा शर्तें एवं वेतनमान केंद्रीय सेवा श्रृंखला (Central Service Pattern) और केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप रखे जाएंगे।

28. इसके अतिरिक्त झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 में भी सचिवालय कार्य संचालन की व्यवस्था केंद्र सरकार की प्रणाली के अनुरूप "हू-ब-हू" अपनाई गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकार राज्य सचिवालय की कार्यप्रणाली को केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप विकसित करना चाहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के पदों की संरचना, सेवा hierarchy तथा विभिन्न सेवाओं की पदों में भागीदारी भी केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप ही होनी चाहिए। अतः cadre review, पद संरचना एवं समवर्ग की समीक्षा अन्य राज्यों की व्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) की संरचना एवं मानकों के आधार पर किया जाना अधिक तार्किक, न्यायसंगत एवं नीति-संगत होगा।

29. यह निर्विवाद है कि झारखंड सचिवालय सेवा का गठन, संरचना, कार्य प्रणाली एवं सेवा शर्तें केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप विकसित की गई हैं तथा वर्तमान में भी इसी संरचना एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसलिए cadre review, promotional hierarchy अथवा पद संरचना के निर्धारण के समय JSS की तुलना अन्य राज्य सचिवालय सेवाओं से नहीं, बल्कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के मानकों, पदानुक्रम एवं संरचनात्मक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से अधिक तार्किक, न्यायसंगत एवं नीति-संगत होगा।

30. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची द्वारा भारत सरकार के OM No. I-11011/16/2022-CRD दिनांक 30.09.2022 के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग की समीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है।

31.जबकि उक्त कार्यालय ज्ञापन मूलतः विभिन्न केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं (Central Group 'A' Services) के Cadre Review हेतु पूर्व में जारी कई कार्यालय ज्ञापनों (1972 से 2018 तक के विभिन्न Cadre Review Guidelines) का संशोधित समेकित दिशानिर्देश मात्र है।

32.यह OM केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं के संवर्ग पुनरीक्षण के दौरान वर्ष 2010 के समेकित दिशानिर्देशों के पश्चात अनुभव की गई समस्याओं के समाधान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्मिक नीतियों को अद्यतन करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

33.OM No. I-11011/16/2022-CRD दिनांक 30.09.2022 में केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं के Cadre Review के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख है, इसके साथ कंडिका- 5 में समूह 'ख' एवं 'ग' सेवाओं के Cadre Review के कुछ पहलुओं पर विचार रखा गया है। परंतु, CSS जैसे Unique Secretariat Cadre के लिए कोई पृथक अनुशंसा या विशेष संरचनात्मक प्रावधान नहीं किया गया है।

34.इस OM की कंडिका 5, OM No. 2/1/87-PP dated 23.11.1987 पर आधारित है। दिनांक- 23.11.1987 का उक्त OM चतुर्थ वेतन आयोग की कंडिका 23.9 एवं 23.10 को लागू कराने के उद्देशय से जारी है। उक्त OM के साथ संलग्न चतुर्थ वेतन आयोग की कंडिका 23.9 का उद्देश्य Stagnation एवं Inadequate Promotion की समस्या का निदान करना है। ऐसे में, इस OM के बिन्दु- 5.2 (ii) में अंकित "A structural ratio of 3:1 between two consecutive grades (feeder grade: higher level) is better to fill posts." को Pyramidical Structure का गठन करने के निमित्त पद कटौती करना नहीं है अपितु जिन सेवाओं में feeder grade: higher level का अनुपात 1:3 से खराब स्थिति में है उसमें सुधार लाने का है।

35.इस OM के कंडिका 5, में उल्लिखित OM No. 2/1/87-PP dated 23.11.1987 के कंडिका 3 के साथ संधारित Annexure- II जिन तीन समूह 'ख' सेवाओं का उदाहरण दिया गया है- यथा, Junior Engineer in CPWD, Pharmacist in Ministry of Health एवं Draftsman in Survey of India- इन सेवाओं के पद संरचना में कोई समूह 'क' का कोई पद संधारित नहीं था। स्पष्ट है कि समूह 'ख' के रूप में जिन सेवाओं का Cadre Review दिनांक- 30.09.2022 के OM के द्वारा किया जाना है उसमें सचिवालय सेवा को शामिल नहीं है।

36.इन Guidelines में ऐसे किसी भी संवर्ग के लिये Ideal Pyramidical Structure के संबंध में कोई दिशा-निदेश नहीं है जो कि समूह एवं 'क' एवं 'ख' दोनों स्तरों तक फैला हुआ है। यह भी कही स्पष्ट नहीं है कि ऐसी सेवाओं के लिये केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं के लिये निर्धारित Ideal Pyramidical Structure follow होगा या कोई अन्य संरचना।

37.इस OM के कंडिका 5.1 में समूह 'ख' एवं 'ग' सेवाओं के लिये अनुशंसित विभागीय Cadre Review Committee के संरचना में क्रम संख्या (a) एवं (d) के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त OM द्वारा जिन समूह 'ख' एवं 'ग' सेवाओं के Cadre Review किया जाना है वें क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित है न कि विभागीय मुख्यालय/ सचिवालय के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों से। उक्त Guidelines वर्तमान में केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा तक में भी लागू नहीं किया जा सका है।

38.केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) स्वयं एक विशिष्ट (Unique) संवर्ग है, जिसका ढांचा सामान्य Group 'A' सेवाओं से भिन्न है। प्रथम संवर्ग समीक्षा समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि CSS एक Unique Cadre है, जो Group 'B' तथा Group 'A' दोनों स्तरों तक फैला हुआ है तथा जिसमें प्रवेश Group 'B' स्तर से होता है। (1st Cadre Review Committee Report, Para 3.4.2)

39.केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के एक विशिष्ट (Unique) संवर्ग होने के कारण CSS का Cadre Review केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं की तरह नहीं किया जाता और न ही केंद्रीय समूह 'ख' एवं 'ग' सेवाओं के आधार पर भी केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) Cadre Review होता है। इस सेवा की समीक्षा हमेशा से पृथक संवर्ग समीक्षा समितियों (Cadre Review Committees) के माध्यम से अलग Methodology के साथ की जाती रही है।

40.केंद्र सरकार द्वारा अब तक CSS के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग समीक्षा समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, परंतु इनमें से किसी भी समिति द्वारा OM No. I-11011/16/2022-CRD दिनांक 30.09.2022 अथवा इससे पूर्व के Consolidated Cadre Review Guidelines को आधार नहीं बनाया गया है।

41.प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ Cadre Review Committee के गठन संबंधी पत्र, Terms of Reference, Methodology अथवा अंतिम रिपोर्टों में उक्त OM अथवा इसके द्वारा समेकित किये गये किसी OM का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

42.विशेष रूप से OM दिनांक 30.09.2022 जारी होने के लगभग एक माह बाद भारत सरकार द्वारा OM No. 19/02/2022-CS.I(P) दिनांक 27.10.2022 के माध्यम से CSS के लिए गठित चतुर्थ Cadre Review Committee के Terms of Reference भी इस Consolidated Guideline के अनुरूप नहीं हैं।

43.इससे स्पष्ट है कि स्वयं केंद्र सरकार ने भी CSS संवर्ग की विशिष्टता के कारण इस सेवा के लिए उक्त OM को इस सेवा के अनुरूप नहीं माना है।

44.झारखंड सचिवालय सेवा (JSS) का गठन केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अनुरूप किया गया है, इसलिए इसकी समीक्षा भी CSS के सिद्धांतों एवं Cadre Review Reports के आधार पर होनी चाहिए, न कि दिनांक- 30.09.2022 को जारी OM के आधार पर।

45.यह भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कोई भी सेवा संबंधी परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन अथवा नीति राज्य सरकार में स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि उसे विधिवत राज्य सरकार द्वारा अपनाया (Adopt) न किया जाए या उसके अनुरूप नियमावली न बनाई जाए।

46.उदाहरणस्वरूप वेतन आयोग, महंगाई भत्ता (DA), Child Care Leave, HRA आदि से संबंधित केंद्रीय परिपत्र भी सीधे लागू नहीं होते, बल्कि राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति एवं पृथक संकल्प के बाद ही राज्य में प्रभावी होते हैं।

47.इसी प्रकार OM No. I-11011/16/2022-CRD दिनांक 30.09.2022 को भी बिना राज्य सरकार द्वारा विधिवत अंगीकृत (Adopt) किए बिना झारखंड राज्य अंतर्गत किसी भी सेवा पर लागू नहीं किया जा सकता।

48.यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं कार्मिक विभाग द्वारा भी संवर्ग समीक्षा के दौरान उक्त OM के सभी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल एक विशेष बिंदु पर जोर दिया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि विभाग की मंशा भी इस परिपत्र के आलोक में पूर्ण एवं समग्र समीक्षा की नहीं बल्कि एक संवर्ग विशेष को लक्षित कर कार्रवाई करना हैं।

49.केवल चयनित प्रावधानों का उपयोग कर JSS की समीक्षा करना न तो नीतिसंगत है, न विधिसम्मत, और न ही CSS आधारित JSS की वास्तविक संरचना के अनुरूप है। झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा एवं पुनर्गठन हेतु गठित समिति को समीक्षा का आधार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं केंद्रीय सचिवालय में लागू प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय Cadre Review Committee Reports तथा Consolidated Guideline के बाद गठित चतुर्थ Cadre Review Committee के Terms of Reference को बनाना चाहिए।

50.अध्यक्ष महोदय के संज्ञान यह भी लाना चाहते है की समिति को सचिवालयीय सेवा उपलब्ध करा रहे कार्मिक विभाग का यह दायित्व था की बैठको मे हो रहे विमर्शों, दिये जा रहे निर्देश एवं निर्णयो को अभिलेखित किया जाय परंतु अब तक हुये दोनों बैठको की कार्यवृत / कार्यवाही/ प्रोसीडिंग्स जारी नहीं किया गया है न ही इसके लिए तैयार किए जाने वाले कार्यवृत /कार्यवाही/प्रोसीडिंग्स पर हमारे सहमति/ असहमति दर्ज नहीं किया गया है।

51. समिति के समक्ष यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि कार्मिक विभाग द्वारा अपेक्षित सचिवालयीय सहयोग उपलब्ध कराने में आवश्यक रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण संवर्ग समीक्षा समिति की कार्यवाही, अभिलेख संकलन, कार्यवृत्त संधारण, विभागीय समन्वय तथा निर्णयों के अनुपालन में अनावश्यक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। किसी भी संवर्ग समीक्षा की सफलता प्रभावी सचिवालयीय समर्थन पर निर्भर करती है। अतः अध्यक्ष महोदय से विनम्र अनुरोध है कि समिति को आवश्यक सचिवालयीय सुविधा राजस्व परिषद की किसी सक्षम प्रशाखा के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किया जाए तथा आवश्यकता होने पर इस कार्य हेतु अतिरिक्त कार्यबल की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश सचिव, कार्मिक विभाग को दिया जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के कैडर रिव्यू के क्रम में भी सचिवालयीय सहायता हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का किया जाता है(प्रति संलग्न), अतः राज्य स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

20/01/26